यासीन खॉ बनाम मु. शान्ति

7, 8'19

अभिभाषक उभय पक्ष को पत्रावली पर सुना गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने रिव्यू प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया गया कि अप्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष एक अपील संख्या 12/2008 उनवान मु. शान्ति बनाम मु. मल्लों प्रस्तुत की गई। जिसका निर्णय न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 23–06–2009 को किय गया है। न्यायालय हाजा द्वारा पारित उक्त निर्णय एक मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित किया गया निर्णय है। जिसकी कानून की दृष्टि से कोई महता नहीं है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन में मु. मल्लों का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 03–01–2008 प्रस्तुत किया। न्यायालय के आदेश के अनुसरण में मु. मल्लों को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये थे, परन्तु उक्त नोटिस की तामील की सूचना न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुई, ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय मु. मल्लों को अनुपस्थित मानते हुए पारित किया गया है। जबकि अप्रार्थी/अपीलांट का यह दायित्व था कि वे न्यायालय के समक्ष उक्त आश्य की सूचना प्रस्तुत करते कि मु. मल्लों की मृत्यु हो चुकी है ऐसी स्थिति में उसके जायज वारिसान को रिकार्ड पर लिया जावे। अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा न्यायालय को गुमराह करते हुए आदेश जैर प्रार्थना पत्र पारित करवाया गया है। अतः प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल अपील में पारित निर्णय निरस्त फरमाया जाकर अपील पुनः पक्षकारों की सुनवाई हेतु निर्धारित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त कारण के रिव्यू प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अपील में बतौर पक्षकार स्थापित मु. मल्लों की मृत्यु की जानकारी प्रार्थी को तत्समय थी तो उसी समय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर बतौर वारिसान पक्षकार स्थापित किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। प्रार्थी द्वारा तत्समय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होकर निर्णय का इंतजार किया जाता रहा व प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी/अपीलांट की अपील स्वीकार होने के उपरान्त निर्णय मियांद बाहर रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा जिस आदेश की रिव्यू प्रस्तुत की गई है, उक्त निर्णय दिनांक 23–06–2009 को पारित किया गया है

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जिसकी रिव्यू करीब दो वर्ष उपरान्त अर्थात वर्ष 2011 में प्रस्तुत की गई है। जोकि स्पष्ट रूप से मियांद बाहर है। न्यायालय द्वारा अपील में निर्णय पारित करते हुए यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि स्माल पेच आवंटन में सभी चिपते काश्तकारों को नोटिस दिये बिना आदेश पारित किया गया है। जो आवंटन नियमों के विपरीत है। ऐसी स्थिति में उक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र के माध्यम से भी प्रार्थी किसी प्रकार का गुणावगुण पर अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील में पारित निर्णय यथावत बहाल रखा जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

हस्तगत् प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा दिनांक 04–02–2008 को न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए मल्लो पत्नी नाजू खॉ के पक्ष में किये गये स्मालपेच को निरस्त कराने की इस्तदुआ की गई। उक्त अपील में मु. मल्लों को बतौर रेस्पोडेन्ट स्थापित किया गया था। प्रकरण में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मु. मल्लों के मृत्यु प्रमाण पत्र से यह साबित है कि मु. मल्लों की मृत्यु अपील प्रस्तुत करने की दिनांक अर्थात 04–02–2008 से पूर्व हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा न्यायालय के समक्ष सही स्थिति प्रस्तुत नहीं की गई व न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्व आदेश पारित कर दिया गया। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित किया गया आदेश शून्य आदेश की परिभाषा में आता है।

प्रकरण में चूंकि मु. मल्लों के जायज वारिसान इस रिव्यू प्रार्थना पत्र के माध्यम से न्यायालय के समक्ष उपस्थित आ चुके है। ऐसी स्थिति में मु. मल्लों के जायज वारिसान को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक होने के कारण प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है व अपील में मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित निर्णय दिनांक 23–06–2009 को निरस्त किया जाकर मूल अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

([illegible])
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।